न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 445/2019

GCMS NO. : 2019/00225

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. मनोहर सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति–राजपूत निवासी घोड़ावड तहसील जैतारण जिला पाली।		1. तहसीलदार जैतारण जिला पाली। 2. पटवार हल्का घोड़ावड तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.06/12/2019

उपस्थितः– 1. श्री राजेन्द्रसिंह उदावत, अधिवक्ता वादीगण।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 28/07/2022**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादी ग्राम घोडावड तहसील जैतारण जिला पाली का मूल निवासी है। वादी के पिता गणपत सिंह पुत्र भूरसिंह थे। वादी के पिता की जमीन खाता संख्या नया 336 व पुराना 322 में कुल जमीन 230 बीघा पटवार हल्का घोड़ावड़ में आई हुई है। उसमें वादी के पिता का 1/4 हिस्सा आता है जिसमें वादी व उसके पिता काश्त करते थे और वादी के पिता गणपत सिंह के स्वर्गवास पश्चात वादी आज दिन शान्ति पूर्वक काबिज काश्त करता आ रहा है जिसके खसरा नम्बर 186,190,193,195,214,440,442,468,469,470,550, 551 कुल खसरा 12 कुल रकबा 230 बीघा है जिसकी चालू जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 तक की वाद के साथ पेश है। वादी जमीन पटवार हल्का घोडावड में खाता संख्या नया 335 खसरा नम्बर 185 रकबा 05 बीघा 11 बिस्वा में भी वादी का हिस्सा आता है व इसी प्रकार पटवार हल्का घोडावडा में नया खाता संख्या 300 खसरा नम्बर 472 रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा जमीन वादी के नाम से दर्ज है। जिस पर वादी शान्ति पूर्वक काबिज काश्त करता आ रहा है। वाद में वर्णित जमीन वादी के पिता की थी और वो ही काश्त करते थे उस समय जमाबन्दी नहीं थी और जागीरदार प्रथा थी। संवत् 2011 में राज्य सरकार ने जो काश्त करते थे उनके नाम पट्टे जारी किये और जमाबन्दी बनाई गई। जिस वक्त जमाबन्दी बनाई गई उस समय वादी के पिता का स्वर्गवास हो गया था और वादी नाबालिग था। इस कारण जिस जमीन में वादी के पिता गणपत सिंह पुत्र भूरसिंह काश्त करते थे। उस जमीन की जमाबन्दी में वादी मनोहर सिंह के स्थान पर विष्णु सिंह दर्ज कर दिया जो कतई गलत दर्ज किया। वादी की उम्र कम थी और घर में कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था कारण की वादी के पिता गणपत सिंह के एक ही [illegible] है। इसलिए वादी की माता व वादी अपने ननिहाल चले [illegible] जब तक बालिग हुआ तब तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 14:16:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

वादी अपने ननिहाल ग्राम नांगल जिला जयपुर में ही अपने नाना–नानी व मामा–मामी के पास रहा और वहा पर कक्षा 08 वीं तक की पढाई की थी जब स्कूल में वादी का नाम मनोहर सिंह पुत्र गणपतसिंह दर्ज करा दिया था। तब से वादी को ननिहाल और अपने पैतृक ग्राम घोडावड में मनोहर सिंह के नाम से जानते है। वादी बालिग होने पर वादी व उसकी माता पुनः अपने ग्राम घोडावड में रहवास करने लग गये और अपनी जमीन पर आज दिन तक शांति पूर्वक काबिज करता आ रहा है। मगर पटवार हल्का से रेकर्ड की जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं पडी। ग्राम घोडावड में भी सभी दस्तावेज में अपना नाम मनोहर सिंह पुत्र गणपत सिंह ही लिखवाया व गांव में भी वादी को मनोहर सिंह पुत्र गणपत सिंह के नाम से ही जानते है। वादी ने अपना राशन कार्ड, चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचित कार्ड, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट सभी में मनोहर सिंह पुत्र गणपत सिंह ही दर्ज है। जिसकी फोटो प्रति वाद के साथ पेश है। प्रधानमंत्री योजना में काश्तकार को वार्षिक मदद की राशि की घोषणा की जिसके तहत गांव के भी काश्तकारों ने अपने फार्म जमा कराये उसमें जमीन की जमाबन्दी साथ में लगाना अनिवार्य था। बिनाय दावा वादी भी प्रधानमंत्री योजना के तहत फॉर्म जमा कराना चाहा व पटवार हल्का घोडावडा के पास जमाबन्दी की नकल लेने गया तब पता चला कि जमाबन्दी में वादी का नाम विष्णु सिंह पुत्र गणपत सिंह दर्ज है। जिस कारण वादी को उक्त वाद पेश करना आवश्यक है। वादी व वादी की आराजी श्रीमान् के न्यायालय में ही होने से वादी की सुनवाई का अधिकार श्रीमान् को ही प्राप्त है।

इस पर वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी/ तहसीलदार जैतारण ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है।

तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि राजस्व वाद संख्या 445/2019 मनोहरसिंह बनाम तहसीलदार जैतारण में वादी मनोहरसिंह का नाम दुरूस्त करवाने हेतु मजमें आम में जांच की गई। जांच करने पर पाया कि ग्राम घोडावड के खसरा नम्बर 186,190,193,195,214, 440,442,468,469, 470, 550,551 कुल खसरा 12 कुल रकबा 230–01 बीघा तथा खसरा नम्बर 185 रकबा 5–11 बीघा तथा खसरा नम्बर 472 रकबा 13–08 बीघा में वादी का नाम विष्णुसिंह पुत्र गणपतसिंह दर्ज है। परन्तु प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम मनोहरसिंह पुत्र गणपतसिंह है। प्रार्थी के सभी साक्ष्य दस्तावेजों में भी नाम मनोहरसिंह पुत्र गणपतसिंह है। प्रशासन गावों के संग अभियान, 2021 केम्प घोडावड में मजमे आम में पूछताछ करने पर उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की गई। अतः निवेदन है कि वादी का नाम विष्णुसिंह पुत्र गणपतसिंह के बजाय मनोहरसिंह पुत्र गणपतसिंह दर्ज किया जाना उचित है।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में वादी मनोहरसिंह पुत्र गणपतसिंह का एवं अन्य गवाह केसरसिंह पुत्र धनसिंह, छितरसिंह पुत्र कानसिंह के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये, जो शा0मि0 है। बहस वकील उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया। ग्राम घोडावड की जमाबन्दी संवत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 14:16:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

2077–2080 (प्रदर्श–1, प्रदर्श–2) के खसरा नम्बर 186,190,193,195,214,440, 442,468, 469,470,550,551 कुल खसरा 12 कुल रकबा 230–01 बीघा एवं खसरा नम्बर 185 रकबा 5–11 बीघा तथा खसरा नम्बर 472 रकबा 13–08 बीघा में 'विक्रमसिंह पुत्र नारायणसिंह' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त की प्रति (प्रदर्श–7) में भी 'विक्रमसिंह पुत्र नारायणसिंह' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। अतः प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. वादी मनोहरसिंह पुत्र गणपतसिंह के साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 01 के अनुसार वादी का सही एवं वास्तविक नाम मनोहरसिंह पुत्र गणपतसिंह है ना कि विक्रमसिंह पुत्र नारायणसिंह। वादी ने यह कथन किया कि संवत् 2011 में राज्य सरकार द्वारा पट्टे जारी किये और जमाबन्दी बनाई गई जिस वक्त वादी के पिता का स्वर्गवास हो गया था और वादी नाबालिग था इस कारण जमाबन्दी में मुझ वादी मनोहरसिंह के स्थान पर विष्णुसिंह नाम दर्ज कर दिया, जो कतई गलत है। वादी का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम मनोहरसिंह पुत्र गणपतसिंह है जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग का पहचान–पत्र, कक्षा–6 की टी.सी. आदि में भी यही दर्ज है। वादी ने वाद–पत्र में सशपथ यह कथन किये कि वादी का वास्तविक नाम मनोहरसिंह पुत्र गणपतसिंह है जबकि राजस्व रेकर्ड में विक्रमसिंह पुत्र नारायणसिंह दर्ज होने से वादी प्रधानमंत्री योजना का वार्षिक मदद नहीं ले पा रहा है। अन्य शहादत में गवाह केसरसिंह पुत्र धनसिंह का साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 02 प्रस्तुत किया। गवाह केसरसिंह ने अपने शपथ–पत्र P/W 02 में यह सशपथ कथन किये कि ''वादी के पिता के देहान्त के बाद जरिये फौतेदगी म्युटेशन के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम विष्णुसिंह पुत्र गणपतसिंह दर्ज कर दिया गया है, जो गलत है। जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम मनोहरसिंह पुत्र गणपतसिंह है जो वादी के अन्य समस्त सरकारी, अर्द्धसरकारी दस्तावेजात में दर्ज है।''
2. प्रदर्श दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–3ए (कक्षा–6 की टी.सी.), प्रदर्श–4ए (निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र), प्रदर्श–5ए (आधार कार्ड), प्रदर्श–6ए (राशन कार्ड) उक्त दस्तावेजो में वादी का नाम मनोहरसिंह पुत्र गणपतसिंह है।
3. प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा जवाब दावा में यह स्पष्ट किया गया कि सरहद मौजा घोडावड पटवार हल्का घोडावड तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 186,190,193,195,214,440,442,468,469,470,550,551कुल खसरा 12 कुल रकबा 230–01 बीघा तथा खसरा नम्बर 185 रकबा 5–11 बीघा तथा खसरा नम्बर 472 रकबा 13–08 बीघा में वादी का नाम विष्णुसिंह पुत्र गणपतसिंह दर्ज है। प्रशासन गावों के संग अभियान, 2021 केम्प घोडावड में मजमे आम में पूछताछ करने एवं प्रार्थी के सभी साक्ष्य दस्तावेजों अनुसार वादी का नाम मनोहरसिंह पुत्र गणपतसिंह है। अतः वादी का नाम विष्णुसिंह पुत्र गणपतसिंह के बजाय मनोहरसिंह पुत्र गणपतसिंह दर्ज किया जाना उचित है।

इस प्रकार तहसीलदार जैतारण का जवाब दावा एवं वादी के शपथ–पत्र एवं गवाह केसरसिंह पुत्र धनसिंह का शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त अराजी के खसरा नम्बर 186,190,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 14:16:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली

193,195,214,440,442,468,469,470,550,551 कुल खसरा 12 कुल रकबा 230 बीघा, खसरा नम्बर 185 रकबा 05 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 472 रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा ग्राम घोडावड के भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि विष्णुसिंह पुत्र गणपतसिंह के स्थान पर वादी का दस्तावेजों में दर्ज अनुसार सही एवं वास्तविक नाम मनोहरसिंह पुत्र गणपतसिंह है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में जहाँ–जहाँ प्रविष्टि 'विष्णुसिंह पुत्र गणपतसिंह' दर्ज है वहाँ उसके स्थान पर 'मनोहरसिंह पुत्र गणपतसिंह' किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: *आदेश* ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा घोडावड पटवार हल्का घोडावड भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बलाडा तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 186,190, 193,195,214,440,442,468,469,470,550,551 कुल खसरा 12 कुल रकबा 230 बीघा, खसरा नम्बर 185 रकबा 05–11 बीघा एवं खसरा नम्बर 472 रकबा 13–08 बीघा के **भू–अभिलेख में जहाँ–जहाँ** वादी का नाम ***विष्णुसिंह पुत्र गणपतसिंह*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की निम्न प्रविष्टि– ***'विष्णुसिंह पुत्र गणपतसिंह'*** *के स्थान पर* ***'मनोहरसिंह पुत्र गणपतसिंह'*** को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। तदनुरुप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 14:16:11 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 21 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण
बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–ः वादी ः– **बनाम** **–ः प्रतिवादी ः–**

1. मनोहर सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति–राजपूत निवासी घोड़ावड तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

1. तहसीलदार जैतारण जिला पाली।
2. पटवार हल्का घोड़ावड तहसील जैतारण जिला पाली।

मु0न0 ःरा0वा0स0– 445/2019
राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री राजेन्द्रसिंह उदावत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा घोडावड पटवार हल्का घोडावड भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बलाडा तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 186,190, 193,195,214,440,442,468,469,470,550,551 कुल खसरा 12 कुल रकबा 230 बीघा, खसरा नम्बर 185 रकबा 05–11 बीघा एवं खसरा नम्बर 472 रकबा 13–08 बीघा के **भू–अभिलेख में जहाँ–जहाँ** वादी का नाम ***विष्णुसिंह पुत्र गणपतसिंह*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की निम्न प्रविष्टि– ***'विष्णुसिंह पुत्र गणपतसिंह'*** *के स्थान पर* ***'मनोहरसिंह पुत्र गणपतसिंह'*** को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **28/07/2022** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–पाली (राज0)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	मेहनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीशनर	0.00
फीस कमीशनर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 14:16:11 IST
Reason: SelfAttested

बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	06.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 14:16:11 IST
Reason: SelfAttested